बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

दिनांक..........................

संख्या–7 / स्था0–04–02 / 2016सा0प्र0.................... / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–88668 दिनांक 10.12.2018 द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थी को अधिवक्ता वर्ग से सीधी नियुक्ति के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद के लिए वेतनमान रु0 51550–1230–58930–1380–63070 में, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित अस्थायी रूप से को नियुक्त किया जाता है:–

क्र0स0	न्यायिक पदाधिकारियों के नाम / पत्राचार का पता	रौल नं0	जन्मतिथि
1	*2*	*3*	*4*
1	श्री संतोष कुमार, वर्तमान पता–सबजज–IV–सह–ए0सी0जे0एम0–V, औरंगाबाद, स्थायी पता पिता–नागेश्वर शर्मा, ग्राम–सहार तेलपा डीह, अरवल, बिहार–804419	13869	01.02.1970

2. उपर्युक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–14156 / 2015 (धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय) एवं डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–251 / 2016 (अभिमीत सिन्हा एवं अन्य बनाम महानिबंधक के माध्यम से उच्च न्यायालय, पटना एवं अन्य) के साथ संलग्न डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–733 / 2016 (प्रेम शंकर एवं अन्य बनाम पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य) में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. उपर्युक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि यदि इनके पूर्ववत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है अथवा प्रमाण पत्र / अभिलेखों के जाँच के क्रम में सूचना गलत पायी जायेगी, तो इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. अभ्यर्थी के शैक्षणिक, उम्र, अनुभव, आवासीय एवं स्वच्छ चरित्र संबंधी सभी तरह के मूल प्रमाण पत्रों की विधिवत रूप से जाँच एवं सत्यापन का कार्य संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर किये जायेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या सुविधा देय नहीं होगी।

7. संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थी के सिविल सर्जन के स्तर पर गठित चिकित्सक पर्षद से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शादी / विवाह में तिलक / दहेज आदि नहीं लेने / देने की घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–04–02 / 2016सा0प्र0 .... / पटना–15, दिनांक...............................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION

ज्ञापांक–7/स्था0–04–02/2016सा0प्र0 ..../पटना–15, दिनांक.................................

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–88668 दिनांक 10.12.2018 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–02/2016सा0प्र0 ......332......./पटना–15, दिनांक.....8.1.19.......

निबंधित

प्रतिलिपि–श्री संतोष कुमार, नवनियुक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) वर्तमान पता –सब जज–IV–सह–ए0सी0जे0एम0–V, औरंगाबाद, स्थायी पता पिता–नागेश्वर शर्मा, ग्राम–सहार तेलपा डीह, अरवल, बिहार–804419 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/19

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION